कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री के0 आर0 बी0 एल0 लि0, ग्रा0 अछेजा, बी0 एस0 रोड, गौतमबुद्ध नगर।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**319 / 08 (प्रतिप्रेषित)**
प्रार्थी की ओर से	**श्री राजीव कपूर, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री अशोक जैन, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1 व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-319 / 08 दिनांक 7.7.08 को प्रस्तुत किया गया था जिसे कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 19.6.09 को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि व्यापारी द्वारा खरीद / बिक्री के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रश्न न पूछ कर सामान्य प्रश्न पूछा गया था जिसे धारा-59 के अन्तर्गत न मानते हुए व्यापारी का धारा-59 का प्रार्थना-पत्र दिनांक 19.6.09 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

2. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत निम्न प्रश्न पूछा गया था :-

Whether the kachcha Arhtias of U.P. who made the purchases of Paddy from Farmers for and on behaf of KRBL Ltd, in the capacity of KRBL agent or purchases of Paddy by KRBL Ltd directly from Farmers is exempt from payment of tax under VAT Act 2008.

3. व्यापारी द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार किये जाने के आदेश के विरूद्ध सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ की पूर्ण पीठ के समक्ष अपील दाखिल की गयी। जिस पर माननीय सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण की पूर्ण पीठ द्वारा अपने आदेश दिनांक 4.9.09 द्वारा व्यापारी के उपरोक्त प्रार्थना-पत्र को पुनः कमिश्नर, वाणिज्य कर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया गया कि कमिश्नर, वाणिज्य कर व्यापारी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए व्यापारी के संशोधित प्रार्थना-पत्र पर विधि अनुकूल निर्णय पारित करेंगे।

4. प्रार्थी के द्वारा दिनांक 7.7.2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार प्रार्थी एक प्रा0 लि0 कम्पनी है जो वाणिज्य कर विभाग नोएडा में पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा धान से चावल का निर्माण करके देश के बाहर चावल का निर्यात किया जाता है। उक्त निर्यात के लिए उनके द्वारा प्रदेश की विभिन्न मण्डियों से किसानों / कच्चे आढ़तियों के माध्यम से धान का क्रय किया जाता है। उससे चावल का निर्माण कर चावल का निर्यात किया जाता है।

व्यापारी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-7a (iii) के अनुसार

Sale or purchase where such sale or purchases take place-

In the course of the export out of or in the course of the import into, the territory of india.

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा-5 (3) निम्न प्रकार है :-

.......2

" Notwithstanding anything contained in sub section (1), the last sale or purchase of any goods preceding the sale of purchase occasioning the export of those goods out of the territory of india shall also be deemed to be in the course of such export if such last sale or purchase took place after, and was for the purpose of complying with the agreement or order for in the relation to such export "

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा-15 (ca) निम्न प्रकार है :-

Restrictions and conditions in regard to tax on sale or purchase of declared goods within a state-

Every sales tax law of a state shall, in so far as it imposes or authorizes the imposition of a tax on the sale or purchase if declared goods, be subject to the following restrictions and conitions, namely-

(ca) where a tax on sale or purchase of paddy referred to in sub-clause (i) of clause (i) of section 14 is leviable under that law and the rice procured of such paddy is exported out of india, then for the purposes of sub section (3) of section 5, the paddy and rice shall be treated as a single commodity.

अतः व्यापारी का कथन है कि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-15 (ca) से यह स्पष्ट है कि यदि धान से चावल बना कर उसका निर्यात देश के बाहर किया जायगा तो ऐसी दशा में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा-5 (3) के अन्तर्गत पैडी व राइस को एक ही वस्तु माना जायगा। अतः जब उनकी फर्म द्वारा स्वयं या अपने एजेन्ट के माध्यम से कच्चा आढ़तिया या किसान से धान खरीद कर चावल का निर्यात किया जाता है तब वह भी केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा-5 (3) के अन्तर्गत आयगा तथा कच्चे आढ़तियों के माध्यम से की गयी खरीद या किसानों से की गयी पर संव्यवहार की प्रकृति में कोई अन्तर नहीं आयगा। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उनकी फर्म उत्तर प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में धान खरीदने के लिए पंजीकृत भी है। इसके लिए उनके द्वारा मण्डी में पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपियाँ दाखिल की गयी हैं। व्यापारी द्वारा यह भी बताया गया कि कच्चे आढ़तियों या किसान से निर्यात हेतु चावल निर्माण हेतु धान की खरीद की जाती है। उस पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत खरीद पर कोई भी कर का दायित्व नहीं बनता है। यही नहीं व्यापारी द्वारा यह भी बताया गया कि धारा-13 (1) के अन्तर्गत यदि खरीदे गये सामान को पुनः निर्यात हेतु बिक्री किया जाता है तो उसकी पूरी धनराशि पर इनपुट टैक्स का लाभ मिलेगा। व्यापारी द्वारा बताया गया कि निर्यातक होने के नाते उन पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-7 (क) (111) के अन्तर्गत कोई कर आरोपित नहीं किया जा सकता तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत धारा-5 (3) सपठित 15 (ca) के अनुसार धान व चावल एक ही वस्तु माना

......3

कमिश्नर वाणिज्य कर
धारा-59
अनुभाग
उ0 प्र0 मुख्यालय

सर्वश्री के0 आर0 बी0 एल0 लि0/ प्रा0 प0 सं0-319 / 08 (प्रतिप्रेषित), धारा-59, पृष्ठ-3

गया है। व्याापारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय-स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम बी0 एम0 असरफ तथा सर्वश्री एलकेडरा एक्सपोर्ट बनाम स्टेट ऑफ केरला तथा सर्वश्री मोंगा राइस मिल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 135 एसटीसी पेज 549 के निर्णय संलग्न किये गये हैं।

5. व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, नोएडा जोन ने अपने पत्र संख्या-1484, दिनांक 18.09.2008 तथा संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक) के पत्र संख्या-367, दिनांक 10.9.08 द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार तीन तरह की बिक्री होती है, स्थानीय बिक्री, केन्द्रीय बिक्री और निर्यात बिक्री। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा-5 (1) सीधे निर्यात से सम्बन्धित है तथा धारा-5 (3) एक्सपोर्ट के पूर्व की खरीद एवं बिक्री के बारे में बताती है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा-15 (ca) निर्यात के लिये धान या चावल को एक ही वस्तु बताती है। अतः माननीय न्यायालयों एवं विधिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उनकी आख्या निम्नवत् है :-

(1) कच्चा आढ़ती धान की खरीद सर्वश्री के0 आर0 बी0 एल0 के एजेन्ट के रूप में करता है, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वाद-सर्वश्री दी सीमेन्ट एलाकेशन एण्ड कोर्डिनेशन ओरगेनाईजेशन (29 एसटीसी 114) में दी गयी विधिक व्यवस्था के अनुसार एजेन्ट भी उन्हीं करमुक्तियों का अधिकारी है, जो कि उनके प्रिन्सीपल को है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-13 (9) निम्न प्रकार है :-

13 (9) Where any goods, purchased from within the state, are sold by a principal through a selling agent or where any goods or purchased by a purchasing agent on behalf of a principal, input tax, in respect of purchase of such goods, shall be claimed by and be allowed to the principal in such manner as may be prescribed.

(2) कच्चे आढ़ती द्वारा सर्वश्री के0 आर0 बी0 एल0 के एजेन्ट के रूप में की गयी खरीद कच्चे आढ़ती एवं सर्वश्री के0 आर0 बी0 एल0 के मध्य क्रय / विक्रय नहीं माना जा सकता है।

(3) वैट अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा-5 (3) एवं धारा-15 (ca) के परिप्रेक्ष्य में सर्वश्री के0 आर0 बी0 एल0 के एजेन्ट के रूप में कच्चे आढ़ती मार्फत की गयी धान की खरीद पर जिससे निर्मित चावल को सर्वश्री के0 आर0 बी0 एल0 द्वारा निर्मित किया जाता है, पर कोई कर आरोपित करना विधिक दृष्टि से विधि संगत प्रतीत नहीं होता है।

(4) ऐसा ही निर्देश आयुक्त बिक्रीकर उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र दिनांक 10 जनवरी, 1991 में नई इकाई को एजेन्ट के द्वारा की गयी बिक्री को नई इकाई की बिक्री मानते हुए करमुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(5) मेरे विचार से सर्वश्री के0 आर0 बी0 एल0 द्वारा कच्चे आढ़ती के मार्फत की गयी खरीद, जिससे चावल सर्वश्री के0 आर0 बी0 एल0 द्वारा निर्मित किया जाता है, वैट अधिनियम की धारा-7 के परिप्रेक्ष्य में न तो सर्वश्री के0 आर0 बी0 एल0 पर कोई कर आरोपित किया जा सकता है और न ही

......4

कमिश्नर वाणिज्य कर
धारा-59
अनुभाग
उ0प्र0 मुख्यालय

उनके एजेन्ट पर कर आरोपित किया जा सकता है।

(6) निर्यात करने हेतु माल की खरीद अथवा निर्यात हेतु माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे पैकिंग माल की खरीद पर देय कर के वापसी का जो भुगतान करने के प्राविधान 15 (ca) 5 (3) / 15 (ca) सी0 एस0 टी0 एक्ट से आच्दादित है, में लागू नहीं होंगे क्योंकि वैट अधिनियम की धारा-7 के अनुसार उक्त प्रकार की खरीद पर कोई कर आरोपित नहीं किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-7 (3) के निर्यातक व्यापारियों को आई0 टी0 सी0 30 दिन के अन्दर रिफन्ड करने का प्राविधान किया गया है परन्तु धारा-7 वैट एक्ट के अनुसार धान से चावल बनाने के लिए धान की खरीद पर निर्यातक के मामले में उपरोक्त विवेचन के आधार पर कर आरोपित करना विधि संगत प्रतीत नहीं होता है। डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण), खण्ड-1, वाणिज्य कर, गौतमबुद्ध नगर द्वारा अपने पत्र संख्या-2114, दिनांक 12.3.2010 द्वारा यह सूचित किया गया है कि व्यापारी चावल के शत प्रतिशत निर्यातक हैं और चावल के निर्माण पर निर्यात के जो लायक चावल नहीं पाया जाता है उसकी स्थानीय बिक्री करते हैं तथा इस चावल में ब्रोकेन चावल, कन्नी या खराब किस्म का चावल कहा जाता है, सम्मिलित है।

6. मेरे द्वारा व्यापारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, न्यायिक निर्णयों प्राप्त आख्या आदि का परीक्षण किया गया। व्यापारी द्वारा प्रस्तुत सभी न्यायिक निर्णय केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम में धारा-5 (4) व नियम-12 (10) (a) के सम्मिलित किये जाने के पूर्व के हैं अत: प्रस्तुत मामले में पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हैं। फाइनेन्स एक्ट-2005 द्वारा दिनांक 13.5.05 से **केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-5** में सब सेक्शन-4 जोड दिया गया जो कि निम्नवत है :-

के0 बि0 अधि0 की धारा-5 (4)	" The provisions of **sub-section (3) shall not apply** to any sale or purchase of goods **unless the dealer** selling the goods **furnishes** to the prescribed authority in the prescribed manner **a declaration duly filled and signed by the exporter** to whom the goods are sold in a prescribed form obtained from the prescribed authority "

दिनांक 14.7.05 से **केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम (रजिस्ट्रेशन एण्ड टर्न ओवर) के द्वितीय संशोधन-2005 द्वारा नियम-12 (10) (a)** में संशोधन किया गया। जो निम्नवत् है :-

वर्तमान में दि0 14.7.05 के पश्चात नियम-12 (10) (a)	" the declaration referred to in sub-section (4) of section 5 **shall** be in Form H and shall be furnished to the prescribed authority upto the time of assessment by the assessing authority " (**17.7.2005 से प्रभावी**)

......5

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उ०प्र० मुख्यालय धारा-59 अनुभाग

<u>सर्वश्री के0 आर0 बी0 एल0 लि0/ प्रा0 प0 सं0-319 / 08 (प्रतिप्रेषित), धारा-59, पृष्ठ-5</u>

दिनांक 14.7.05 द्वारा किये गये संशोधन के पूर्व केन्द्रीय बिक्रीकर (रजिस्ट्रेशन एण्ड टर्न ओवर) नियम-12 (10) (a) निम्नवत था :-

दिनांक 14.7.05 के पूर्व नियम-12-(10) (a)	" A dealer **may** in support of his claim that he is not liable to pay tax under this Act in respect of any sale of goods on the ground that the sales of such goods is a sale in the course of export of those goods out of the territory of India within the meaning of sub-section (3) of section 5, furnish to the prescribed authority a certificate in Form 'H' duly filled and signed by the exporter alongwith evidence of export of such goods. "(**before 14.7.2005**)

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम-1956 में दिनांक 13.5.05 से धारा-5 में धारा-5 (4) इन्सर्ट होने के पश्चात केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-5 (3) का लाभ लेने के लिए केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-5 (4) का अनुपालन करना बाध्यकारी है अर्थात फाइनेन्स एक्ट-2005 के द्वारा धारा-5 में लाये गये संशोधन के परिणामस्वरूप धारा-5 (3) स्वतन्त्र सेक्शन नहीं बचता है तथा इसका लाभ लेने के लिए धारा-5 (4) का अनुपालन होना अति आवश्यक है। **केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-5 (4) तथा 5 (3) खरीद व बिक्री दोनों तरह के संव्यवहारों के लिए प्रभावी है तथा धारा-5 (4) खरीद / बिक्री दोनों संव्यवहारों के लिए फार्म-'H' को प्रस्तुत करना बाध्य करता है।** यह सही हो सकता है कि राइस मिलर या निर्यातक के पास बहुत से निर्यात आदेश लम्बित हैं तथा वह उन आदेशों की पूर्ति के लिए ही धान की खरीद करता है फिर भी चावल निर्माता / निर्यातक के ऊपर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वह उसी धान से बने चावल को निर्यात करे। चावल निर्माता बिना किसी समझौते का उल्लंघन किये उक्त खरीदे गये धान से बने चावल को स्थानीय बाजार में बेच सकता है। लेकिन यदि चावल निर्माता / निर्यातक फार्म-एच जारी करने के शर्त के साथ धान की खरीद करता है और बाद में फार्म-एच विक्रेता व्यापारी को इश्यू करता है ऐसा करके निर्यातक अपने ऊपर एक शर्त आरोपित करता है जिसका अनुपालन चावल निर्माता / निर्यातक फार्म-एच जारी करके कर सकता है तथा इन शर्तों के साथ खरीदे गये धान से निर्मित चावल को निर्यात करने की बजाय यदि वह स्थानीय बाजार में बेचता है तब चावल निर्माता / निर्यातक फार्म-एच में दी गयी शर्तों का उल्लंघन करने का दोषी बन जायगा।

यही नहीं यदि फार्म-एच का परीक्षण किया जाय तो पाया जाता है कि फार्म-एच में विक्रेता व्यापारी का प्रान्तीय एवं केन्द्रीय बिक्रीकर पंजीयन नम्बर को फार्म-एच में भरने की बाध्यता है। ऐसी परिस्थिति में यदि निर्यातक / निर्माता चावल को निर्यात करने के पश्चात पुन: भारत में आयात कर लेता है तब निर्यातक धान / चावल के विक्रेता व्यापारी के कर निर्धारण अधिकारी को सूचना देने के लिए बाध्य होता है अर्थात केन्द्रीय धारा-5 (4) के अनुपालन के लिए धान / चावल के विक्रेता व्यापारी का पंजीकृत होना आवश्यक है।

दिनांक 14.7.05 के पूर्व केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम पंजीयन एवं टर्न ओवर नियम-1957 के नियम-12 (10) (a) में संशोधन के पूर्व फार्म-एच की स्थिति भिन्न थी क्योंकि तब फार्म-एच का उपयोग मात्र अन्तर

.....6

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
धारा-59 अनुभाग

प्रान्तीय बिक्री में करमुक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य था अर्थात दिनांक 14.7.05 के पूर्व फार्म-एच जारी करने के पश्चात यदि निर्यातक धारा-5 (3) का अनुपालन प्रमाणित करने में असफल रहता था तो उक्त की अन्तर प्रान्तीय बिक्री मान ली जाती थी, परन्तु दिनांक 17.7.05 के पश्चात केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के नियम-12 (10) में संशोधन के पश्चात धारा-5 (3) का लाभ लेने के लिए निर्यातक द्वारा विक्रता व्यापारी को फार्म-एच उपलब्ध कराने की बाध्यता है तथा फार्म-एच उपलब्ध कराने के पश्चात ही निर्माता / निर्यातक केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-5 (3) का लाभ ले सकता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-286 निम्नवत् है :-

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-286	**Restrictions as to imposition of tax on the sale or purchase of goods**-(1) No law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place- (a) outside the State; or (b) in the course of the import of the goods into, or export of the goods out of, the territory of India. (2) Parliament may be law formulate principles for determining when a sale or purchase of goods take place in any of the ways mentioned in clause (1).

भारतीय संविधान का उक्त अनुच्छेद प्रदेश सरकारों को निर्यात बिक्री पर कर आरोपित करने पर रोक लगाती है तथा अनुच्छेद-286 (2) पार्लियामेन्ट को अन्तर प्रान्तीय बिक्री व निर्यात बिक्री के संव्यवहारों के लिए सिद्धान्त बनाने हेतु अधिकृत करती है। संविधान द्वारा प्रदत्त इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम-1956 में पार्लियामेन्ट द्वारा धारा-5 (4) के प्राविधान लाये गये जिसके द्वारा धारा-5 (3) के प्राविधानों को मान्यता देने के लिए फार्म-'H' के प्रस्तुतीकरण को बाध्यकारी बना दिया गया। अत: प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम में लायी गयी धारायें-धारा-13, धारा-7 तथा धारा-15 न केवल संविधान के अनुच्छेद-286 के अनुरूप हैं अपितु अनुच्छेद-286 (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम-1956 की धारा-5 (4) के प्रभाव का समादार करते हुए बनायी गयी है। कहने का तात्पर्य यह है कि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-5 (4) का प्रभाव उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की विभिन्न धाराओं से ऊपर हैं।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत निर्यात के दौरान की गयी खरीद और बिक्री पर कर की छूट का लाभ केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-5 (3) के अनुपालन के उपरान्त ही उपलब्ध है। तथा केन्द्रीय बिकीकर अधिनियम की धारा-5 (3) के अन्तर्गत कर में छूट का लाभ केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-5 (4) के अनुपालन के उपरान्त ही प्राप्त है तथा भारतीय संविधान का अनुच्छेद-286 इस तथ्य की

......7

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
धारा-59
अनुभाग
उ०प्र०

पुष्टि करता है।

अत: उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न निष्कर्ष निकलता है :-

1. जहाँ धान / चावल की खरीद पंजीकृत डीलर से फार्म-एच के विरूद्ध निर्यात के विशिष्ट आर्डर के विरूद्ध फार्म-एच में निर्यात आदेश संख्या एवं तिथि / खरीद के आदेश संख्या व तिथि, विक्रेता द्वारा बिल / कैशमेमो धारा-5 (3) के प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किया जाता है राइस मिल निर्माता / निर्यातक द्वारा ऐसी धान की खरीद को निर्यात के दौरान की गयी खरीद तब मानी जायगी यदि निर्यातक यह प्रमाणित कर दे कि उसने उस विशिष्ट निर्यात आदेश की पूर्ति हेतु उक्त विशिष्ट धान क्रय करके चावल का निर्माण करके उस विशिष्ट चावल का निर्यात उस निर्यात आदेश की पूर्ति के लिए किया गया है। तभी किसानों / कच्चे आढ़तियों से की गयी खरीद का लाभ निर्यातक को मिल सकता है। परन्तु केन्द्रीय धारा-5 (3) के अनुपालन में उक्त खरीद फार्म-'H' के विरूद्ध ही कर सकता है। केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत किसान भी डीलर की श्रेणी में आता है। फार्म-'H' में प्रान्तीय / केन्द्रीय बिक्रीकर पंजीयन नम्बर अंकित करने की बाध्यता है अत: किसानों / कच्चे आढ़तियों से की गयी खरीद पर छूट अनुमन्य नहीं है।
2. यदि निर्यातक अपंजीकृत व्यापारियों से या ऐसे व्यापारियों से धान की खरीद करता है जिनको फार्म-एच नहीं जारी कर सकता है ऐसी स्थितियों में केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-5 (3) का लाभ नहीं मिल सकता है।
3. केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-15 (ca) का लाभ धान के निर्माता / निर्यातक को एक सीमा तक ही दिया गया है अर्थात जिस संव्यवहारों में धारा-5 (3) लागू होती है केवल उन्हीं संव्यवहारों में केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-15(ca) का लाभ लेते हुए पैडी व राइस को एक ही वस्तु माना गया है तथा धारा-5 (3) के प्राविधान तभी लागू होते हैं जब धारा-5 (4) के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए फार्म-'H' जारी किया जाय।

7. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

8. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 21 जून, 2010

ह0 / 21.6.2010

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर ... धारा-59 अनुभाग ... उ०प्र०

21/6/10

प्रमाणित प्रतिलिपि